[*]संसद अधिकारी (पदस्थ मरने वाले लोकसभा-अध्यक्ष के पति या पत्नी के लिए पेंशन, आवासन और चिकित्सीय सुविधाएं) नियम, 2002

भारत का राजपत्र: असाधारण [भाग II - खण्ड 3(1)]

संसदीय कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2002

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) - इस नियमों का संक्षिप्त नाम [संसद अधिकारी (पदस्थ मरने वाले लोकसभा-अध्यक्ष के पति या पत्नी के लिए पेंशन, आवासन और चिकित्सीय सुविधाएं) नियम, 2002] है।

(2) वे 3 मार्च, 2002 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. परिभाषा :- इन नियमों मे जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों-

(क) "चिकित्सीय परिचारक" से आयुर्विज्ञान की किसी पद्धति से व्यवसाय करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है;

(ख) "चिकित्सीय देखभाल और उपचार" से चिकित्सीय परामर्श, चिकित्सालय आश्रयण, दवाइयों की लागत, रोग लक्षणएं संबंधी और विकृति संबंधी परीक्षण, चिकित्सीय परीक्षा और शल्यक्रिया की अन्य पद्धतियां जिनकी पदस्थ मरने वाले अध्यक्ष का पति या पत्नी और ऐसे अध्यक्ष के अवयस्क बालक अपेक्षा करें, अभिप्रेत है;

(ग) "निवास" से निम्नलिखित प्रकृति का कोई निवास स्थान अभिप्रेत है-

(i) टाइप VII बंगला ऐसे स्थान पर, जहां केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन आवास उपलब्ध है या यदि टाइप VII बंगला उपलब्ध नहीं है तो अगले उच्चतम टाइप का आवास; या

(ii) ऐसी प्रकृति का निवास स्थान, जिसमें दो हजार वर्ग फीट से अधिक आवास क्षेत्र जहां है; ऐसे स्थान पर, जहां केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन आवास उपलब्ध नहीं है;

(घ) "पदस्थ मरने वाला अध्यक्ष" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी लोकसभा के अध्यक्ष का पद धारण करते हुए मृत्यु हो जाती है;

(ड.) "पति या पत्नी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो पदस्थ मरने वाले अध्यक्ष से वैघ रूप से विवाहित है;

(च) "यात्रा व्यय" से निम्नलिखित अभिप्रेत,-

---

[*]स. क. म. अधिसूचना सं0 13(2)/2002 का. अ. दिनांक 31.7.2002, भारत के राजपत्र असधारण, भाग-II, खण्ड-3(1) दिनांक 31.7.2002 में प्रकाशित।

(i) सरकारी चिकित्सा अधिकारियों की दशा में, ऐसे यात्रा भत्ते जो उन्हें उनकी सेवा के नियमों के अधीन अनुज्ञेय हो; और

(ii) सरकारी चिकित्सा अधिकारियों से भिन्न व्यक्तियों की दशा में, यात्रा पर उपगत ऐसा व्यय जो किसी समूहीक सरकारी 'क' सेवक को अनुळ्ेय अधिकतम रकम से अधिक न हो।

3. **पेंशन** – लोकसभा सचिवालय पेंशन संदाय आदेश जारी करेगा जिसमें कुटुंब पेंशन की रकम और अन्य सुविधाएं जिनके लिए पति या पत्नी और अवयस्क बालक हकदार होंगे, सम्मिलित होंगी।

4. **आवासन** – (1) संपदा निदेशालय, शहरी विकास मंत्रालय, पति या पत्नी के लिए, उसके शेष जीवन काल के लिए अनुज्ञप्ति फीस के संदाय बिना भारत में किसी स्थान पर, पति या पत्नी के चुनाव पर, या तो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा भाड़े पर लिए गए असुसज्जित आवास की व्यवस्था करेगा।

(2) आवास के लिए विद्युत और जल प्रभार पति या पत्नी द्वारा वहन किए जांएगे।

5. **चिकित्सीय देखभाल और उपचार** – (1) पदस्थ मरने वाले अध्यक्ष का पति या पत्नी अथवा अवयस्क बालक या दोनों अपने आवास पर, या भारत में किसी क्लिनिक, परिचर्या गृह (नर्सिंग होम) या वैसी ही प्रकृति की संस्था या चिकित्सीय परिचारक के परामर्श कक्ष में चिकित्सीय देखभाल और उपचार के हकदार होंगे।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सेवाओं पर उपगत सभी व्यय, पति या पत्नी द्वारा प्ररूप-1 में एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर लोकसभा सचिवालय द्वारा वहन किए जाएंगे।

6. **यात्रा व्यय** – (1) पति या पत्नी या अवंयस्क बालकों या पदस्थ मरने वाले अध्यक्ष के पति या पत्नी या अवयस्क बालकों या दोनों की चिकित्सीय देखभाल या उपचार के संबंध में किसी चिकित्सा व्यवसायी या चिकित्सा विशेषळ्ा या किसी चिकित्सीय परिचारक द्वारा उपगत सभी यात्रा व्यय पति या पत्नी द्वारा प्ररूप-2 में उस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने पर लोक सभा सचिवालय द्वारा वहन किए जाएंगे।

(2) केन्द्रीय सरकार का ऐसा चिकित्सा अधिकारी, जो ऐसे अध्यक्ष के पति या पत्नी अथवा अवयस्क बालाकों या दोनों की देखभाल करने के लिए यात्रा करता है, तत्समय प्रवृत नियमों के अनुसार यात्रा व्ययों का हकदार होगा और कोई चिकित्सा अधिकारी जो राज्य सरकार का है, इस मद्धे सीधे लोकसभा सचिवालय से प्रतिपूर्ति का दावा कर सकेगा।

(7) निर्वचन और कठिनाई का निराकरण- यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है या इन नियमों के उपबंधो के अनुपालन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो उसे केन्द्रीय सरकार को निर्देशित किया जाएगा, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

प्ररूप-1

[नियम 5(2) देखिए]

प्रमाणित किया जाता है कि निकाली गई........................रू0 (..................रूपए) की रकम, श्री/श्रीमती.., के जो स्वर्गीय श्री.......................... भूतपूर्व लोकसभा अध्यक्ष, जिनकी................................को पदस्थ मृत्यु हो गई थी, चिकित्सा उपचार/देखभाल/परामर्श के संबंध में व्यय की गई है।

हस्ताक्षर............................

पदनाम...............................

तारीख...............................

स्थान.................................

प्ररूप-2

[नियम 6(1) देखिए]

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती..................................जो स्वर्गीय श्री/श्रीमती........................ भूतपूर्व लोकसभा अध्यक्ष, जिनकी अध्यक्ष के रूप में पदस्थ रहते समय मृत्यु हो गई थी, के पति/की पत्नी है, द्वारा निकाली गई ....रूपए

(अंको में रकम का उल्लेख करें)

(..

....

..........................रूपए)

(शब्दों में रकम का उल्लेख करें)

की रकम उसके पति/उसकी पत्नी या उनके अवयस्क बालक या किसी चिकित्सा व्यवसायी या चिकित्सा विशेषज्ञ या चिकित्सीय परिचारक द्वारा, पति या पत्नी या उनके अवयस्क बालक की चिकित्सीय देखभाल या उपचार के संबंध में यात्रा व्यय के रूप में उपगत की गई है।

हस्ताक्षर...........................

पदनाम..............................

तारीख...............................

स्थान................................

[फा.सं. 13(2)/2002-डब्ल्यू एस]

डा. एम. रहमान, सचिव